न्यायालय अष्टम अपर सत्र न्यायाधीश, आगरा

सत्र परीक्षण संख्या–876 / 2017

(सी0एन0आर0 नम्बर–यू0पी0ए0जी0–01–01–7479–2017)

राज्य प्रति लाखन आदि

धारा–302 भा0दं0सं0

थाना–ताजगंज आगरा

दिनांक10.12.2018

पत्रावली आज आदेशार्थ पेश की गयी। अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 319 दं0प्र0सं0 पर सुना गया तथा पत्रावली का परिशीलन किया गया।

अभियोजन की ओर से प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 319 दं0प्र0सं0 इन कथनों के साथ प्रस्तुत किया गया है कि वादी ने प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 20.08.2017 को समय 12.40 बजे थाना ताजगंज, आगरा पर दर्ज कराई थी, जिसमें अभियुक्तगण प्रमोद, अशोक द्वारा उक्त घटना में सह अभियुक्तगण शंकर, लाखन के साथ मिलकर मृतक मोहन सिंह की हत्या की गयी थी। उक्त मुकदमे में विवेचना के दौरान दिनांक 21.08.2017 को वादी के बयान अर्न्तगत धारा 161 दं0प्र0सं0 अंकित किये गये, जिसमें वादी ने अभियुक्तगण प्रमोद व अशोक द्वारा सह अभियुक्तगण शंकर व लाखन के साथ मिलकर हत्या कारित किये जाने का बयान दिया है। वादी की दिनांक 20.05.2018 को मुख्य परीक्षा अंकित की गयी, जिसमें वादी ने कथन किया है कि उसने भाई मोहन सिंह को शंकर, लाखन, प्रमोद व अशोक के साथ जाते हुए देखा था तथा यह भी अंकित किया है कि उसके भाई मोहन सिंह की हत्या, शंकर, लाखन, प्रमोद एवं अशोक ने ले जाकर पैसों को लेकर कर दी है। वादी द्वारा दी गयी प्रथम सूचना रिपोर्ट, विवेचक को दिये गये बयान तथा न्यायालय में अपनी मुख्य परीक्षा में अभियुक्तगण अशोक व प्रमोद की संलिप्तता, सह अभियुक्तगण लाखन व शंकर के साथ मृतक मोहन सिंह की हत्या किये जाने के संबंध में है। अभियुक्तगण अशोक व प्रमोद ने पुलिस से सांठगांठ कर, दौरान विवेचना अपना नाम मुकदमे से निकलवा दिया था, इस कारण विवेचक द्वारा अभियुक्तगण अशोक व प्रमोद के विरूद्ध आरोप पत्र प्रेषित नहीं किया था। अतएव अभियुक्तगण अशोक एवं प्रमोद को धारा 319 दं0प्र0सं0 के अर्न्तगत तलब किया जाये।

मैंने विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी को सुना तथा पत्रावली का सम्यक रूप से परिशीलन किया।

पत्रावली के परिशीलन से विदित होता है कि वादी मुकदमा राजवीर सिंह द्वारा दिनांक 20.08.2017 को इस आशय की तहरीर थाना ताजगंज, आगरा पर दी गयी कि दिनांक 18.08.2017 को वह अपने भाई लाखन के पास उसके घर रूपये मांगने गया तो

वहां पर घर के बाहर खड़े लाखन ने बताया कि उसने अभी दस हजार रूपये मोहनसिंह को दिये हैं और मोहन सिंह कह रहा था कि उसे रूपये शंकर व लाखन को किसी काम के देने हैं। तभी उसने व उसके भाई लाखन ने भाई मोहनसिंह को शंकर, लाखन व प्रमोद,अशोक के साथ घर से जाते हुए शाम तीन बजे देखा था। जब भाई मोहनसिंह देर रात तक घर वापस नहीं आया तब उसने अपने भाई को उक्त चारों लोगों के घर जाकर तलाश किया तो वहां पर सभी अपने अपने घरों से गायब थे। अगले दिन दिनांक 19.08.2017 को अपने भाई मोहनसिंह को अपने जीजा रोशन सिंह पुत्र हरिवक्त सिंह निवासी इस्लामपुर के घर तलाश करने गये तो उन्होंने बताया कि कल शाम को चार बजे मोहनसिंह उसके घर अपने गांव के शंकर,लाखन, प्रमोद व अशोक के साथ आया था और मोहनसिंह उससे 28,000 रूपये लेकर गया है। तभी से वह लोग भाई मोहनसिंह की तलाश कर रहे हैं। दिनांक 20.08.2017 को सुबह आठ बजे उसके दामाद रामवीर, भाई लाखन, भतीजा हरेन्द्र, मोहनसिंह की तलाश करते हुए गांव बमरौली कटारा पहुंचे तो वहां पर शंकर मिला और उनके पूछने पर शंकर ने आनाकान9ी की, परन्तु उससे कड़ाई से पूछा तो उसने बताया कि उसने और लाखन,प्रमोद व अशोक ने मिलकर उसके भाई की हत्या कर दी है। उन्होंने उसके भाई की लाश को गुतिला गांव के जंगल में फेंक दिया है तथा मोहनसिंह के रूपये उन चारों ने मिलकर आपस में बांट लिये हैं। वह लोग शंकर को लीकर गुतिला के जंगल में जहां पर उसके भाई की हत्या की गयी थी,गये, तो वहां पर जानकारी मिली की दिनांक 19.08.2017 को यहां पर एक अज्ञात व्यक्ति की लाश मिली थी, जिसे पुलिस ने पी0एम0 हाउस आगरा भिजवा दियाहै। वह लोग पी0एम0 हाउस आगरा पर गये तो वहां पर उसके भाई मोहनसिंह की लाश रखी हुई थी। उन लोगों ने अपने भाई मोहनसिंह की शिनाख्त कर ली है। उनको पूरा विश्वास है कि उनके भाई मोहनसिंह की हत्या शंकर, लाखन, प्रमोद व अशोक ने मिलकर घर से ले जाकर कर दी है।

उक्त तहरीर के आधार पर थाना ताजगंज, आगरा पर अभियोग धारा 302 भा0दं0सं0 के अर्न्तगत पंजीकृत किया गया तथा मामले की विवेचना की गयी। विवेचना के उपरान्तत अभियुक्तगण लाखन व शंकरलाल के विरूद्ध धारा 302 भा0दं0सं0 के अर्न्तगत आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया।

अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 302 भा0दं0सं0 के अर्न्तगत आरोप विरचित होने के उपरान्त अभियोजन की ओर से वादी मुकदमा राजवीर सिंह पी0डब्लू0–1 के रूप में परीक्षित हुआ। उक्त संबंध में केस डायरी के परिशीलन से विदित होता है कि विवेचक द्वारा केस डायरी के पर्चा संख्या–16 दिनांकित 09.11.2017 में प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित अभियुक्तगण अशोक एवं प्रमोद की कॉल डिटेल रिपोर्ट संकलित की गयी तथा उनकी लोकेशन गलत पाये जाने के आधार पर उनकी नामजदगी गलत होने के आधार पर उनका नाम विवेचना से निकाला गया। तदुपरान्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,आगरा के आदेश दिनांकित 09.01.2018 के अनुपालन में अभियुक्तगण प्रमोद एवं अशोक के संबधं में विवेचना की गयी। विवेचना के अनुक्रम में विवेचक द्वारा पुनः वादी राजवीर के बयान अंकित किये

गये, जिसमें उसके द्वारा कहा गया कि लाखन ने उसे बताया था कि उसने अभी दस हजार रूपये मोहन सिंह को दिये हैं और मोहन सिंह कह रहा था कि **उसे रूपये शंकर व लाखन को किसी काम के देने हैं।** विवेचक द्वारा तदुपरान्त गवाह धीरज, श्यामवीर, रोहतान सिंह, कल्यान सिंह, के बयान अंकित करने के उपरान्त यह निष्कर्ष निकाला गया कि गहनता से सुरागरसी पतारसी एवं तमामी विवेचना में नामजद अशोक व प्रमोद के विरूद्ध किसी भी तरह का कोई साक्ष्य नहीं मिला है, वादी मुकदमा द्वारा पुरानी रंजिशवश मुकदमा उपरोक्त में अभियुक्तगण अशोक व प्रमोद की नामजदगी कराया जाना प्रतीत होता है।

न्यायालय में वादी मुकदमा राजवीर पी0डब्लू0–1 के रूप में परीक्षित हुआ है। इस साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किया है कि दिनांक 18.08.2017 को वह अपने भाई लाखन के पास उसके घर रूपये मांगने गया था, लाखन उसे गेट के बाहर खड़ा मिल गया था तो लाखन ने उसे बताया कि उसने अभी दस हजार रूपये मोहनसिंह को दिये हैं और भाई मोहनसिंह कह रहा था कि उसे रूपये शंकर व लाखन को किसी काम के देने हैं। तभी उसने व उसके भाई लाखन ने भाई मोहनसिंह को शंकर, लाखन,प्रमोद वअशोक के साथ जाते हुए शाम को घर से जाते हुए देखा था। जब मोहन सिंह देर रात तक वापस नहीं आया तो उसने उक्त चारों लोगों के घर मोहनसिंह को ढूंढ़ऋा तो चारों अपने घर से गायब मिले। दिनांक 19.08.2017 को अपने जीजा रोशन सिंह के यहां तलाश करने गये तो उन्होंने बताया कि कल शाम को चार बजे मोहन सिंह उसके घर अपने गांव के शंकर,लाखन, प्रमोद व अशोक के साथ आया था और उससे 28 हजार रूपये लेकर गया है। दिनांक 20.08.2017 को सुबह आठ बजे उसके दामाद रामवीर, भाई लाखन,भतीजा हरेन्द्र, मोहनसिंह तलाश करते हुए गांव बमरौली कटारा पहुंचे तो वहां पर शंकर मिला। जब उसने शंकर से पूछा तो वह आनाकानी करने लगा। जब उन्होंने कड़ाई की तो उसने बताया कि उसने, लाखन प्रमोद और अशोक ने मिलकर उसके भाई मोहन सिंह की हत्या कर दी है। इस प्रकार इस साक्षी के बयान से स्पष्ट होता है कि उसके भाई लाखनसिंह द्वारा वादी राजवीर को बताया गया था कि मोहन सिंह उससे दस हजार रूपये मांगकर ले गया है तथा कह रहा था कि उसे रूपये लाखन व शंकर को देने हैं। इस प्रकार मृतक मोहन सिंह की केवल अभियुक्त लाखन एवं शंकर पर रूपयों की देनदारी थी। साक्षी के बयान के अनुसार उसके जीजा रोशनलाल द्वारा बताया गया था कि मोहन सिंह के साथ लाखन, शंकर, प्रमोद व अशोक आये थे तथा उसने मोहन सिंह को 28,000 रूपये दे दिये थे। जब कि विवेचना में अभियुक्तगण प्रमोद व अशोक के मोबाइल की कॉल डिटेल रिपोर्ट में उनकी लोकेशन घटनास्थल के आसपास नहीं पाई गयी। पी0डब्लू0–1 राजवीर ने अपनी प्रति परीक्षा दिनांकित 30.10.2018 में कहा है कि उसे कुछ नहीं बताया कि किस किसने मारा था। गवाह को धारा 161 दं0प्र0सं0 का बयान पढ़कर सुनाया गया तो उसने बताया कि उसने, लाखन, प्रमोद व अशोक के साथ मिलकर हत्या करने वाली बात कैसे लिख दी,वह नहीं बता सकता। उसके भाई ने बताया कि यह रूपये मोहन सिंह को शंकर

व लाखन को देने हैं। इस प्रकार पी0डब्लू0–1 राजवीर द्वारा जो भी साक्ष्य प्रस्तावित अभियुक्त अशोक एवं प्रमोद के संबंध में दी गयी है, वह सुनी सुनाई बात पर केवल मृतक मोहन सिंह के साथ, उसके बहनोई रोशनलाल के घर पर रूपये मांगने के संबंध में दी गयी है। इस साक्षी द्वारा न तो मृतक मोहन सिंह को अभियुक्तगण द्वारा हत्या कारित करते हुए देखा गया है और न ही अभियोजन की ओर से अन्य कोई ऐसा साक्षी परीक्षित कराया गया है, जिसके समक्ष प्रस्तावित अभियुक्तगण अशोक एवं प्रमोद द्वारा मृतक मोहनसिंह की हत्या की गयी अथवा उनके कब्जे से हत्या में प्रयुक्त कोई हथियार आदि बरामद किया गया हो। अतएव पत्रावली पर जो साक्ष्य उपलब्ध है, उसके आधार पर प्रस्तावित अभियुक्तगण प्रमोद एवं अशोक को धारा 302 भा.द.स. के अर्न्तगत अपराध में तलब किये जाने हेतु प्रथम दृष्टया पर्याप्त साक्ष्य एवं आधार नहीं हैं तथा प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर न्यायालय के समक्ष यह निश्चित करने हेतु पर्याप्त आधार नहीं हैं कि अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से प्रस्तावित अभियुक्तगण अशोक एवं प्रमोद दोषसिद्ध हो जायेंगे। उक्त संबंध में विधि विनिश्चय **1988 सी0आर0–एल0जे0–राजस्थान 172** में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि–

There must be evidence other than that of the person who is said to have committed the offence. Where an important witness- On the basis of his own examination as a prosecution witness- Proceeding would be improper.

इसी प्रकार माननीय उच्चतम न्यायालय के विनिश्चय **मोहम्मद शफी बनाम मोहम्मद रफीक एवं अन्य (2007) 14 एस0सी0सी0 544, राजिन्दर सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य 2007 सी0आर0–एल0जे0 4281** में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अवधारित किया गया है कि –

The question of exercising power under this section is purely in the Court and in order to exercise powers the Court will have to objectively satisfy itself that the evidence warrant that a person not brought up for trial should be detained and requiered to face the trial. The Court can not summon an accused under S.319 without recording any evidence. The court must arrive at the satisfaction that there exists a possibility that the accused so summoned in all likelihood would be convicted. The power of summoning u/s 319 is not to be exercised in a routine and mechanical manner

is to invoked when on consideration of all the materials available on record the court feele the necessity of impleading some persons as accused.

प्रस्तुत प्रकरण में जो साक्ष्य उपलब्ध है, उसके आधार पर धारा 319 दं0प्र0सं0 के अर्न्तगत विचारण हेतु प्रस्तावित अभियुक्तगण अशोक एवं प्रमोद के विरूद्ध ऐसी साक्ष्य नहीं है,जिसके आधार पर अभियुक्तगण उपरोक्त के संबंध में यह संभावना प्रकट होती हो कि वह धारा 302 भा0दं0सं0 के अर्न्तगत दण्डनीय अपराध के अर्न्तगत दोषसिद्ध हो जायेगा। तदनुसार उपरोक्त समस्त विवेचन एवं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा उक्त विधि व्यवस्था में प्रतिपादित सिद्धांत के दृष्टिगत प्रस्तावित अभियुक्तगण प्रमोद एवं अशोक को धारा 319 दं0प्र0सं0 के अर्न्तगत धारा 302 भा0दं0सं0 के अपराध में सह अभियुक्तगण के साथ विचारण हेतू आहूत किये जाने का कोई विश्वसनीय एवं ठोस आधार उपलब्ध नहीं है। तदनुसार अभियोजन का प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 319 दं0प्र0सं0 निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अभियोजन की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 319 दं0प्र0सं0 निरस्त किया जाता है।

पत्रावली वास्ते साक्ष्य अभियोजन दिनांक 04.01.2019 को पेश की जाये।

(**अनिल कुंमार–द्वितीय**)
अष्टम,अपर सत्र न्यायाधीश,
आगरा

दिनांकः 10.12.2018